Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 11/2016 सी.आई.एस.क्र.– 14311/2016

विनोद कुमार शर्मा बनाम दीपक यादव

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
26.05.2026	वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश – 22, नियम – 3 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन दिनांक 07.01.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के वादी दिनांक 19.10.2025 को मरे गये हैं जो अपने पीछे अपनी पत्नी शकुंतला देवी, पुत्र बिक्रम कुमार तथा विधवा पुत्रवधू अनिता शर्मा को छोड़कर मरे हैं जो वाद के आवश्यक पक्षकार हैं। अतः निवेदन है कि वाद से वादी का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को वद में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाये। प्रतिवादी के द्वारा प्रतिउत्तर न प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है कि उपरोक्त आवेदन वादी के सभी विधिक वारिसान की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण से यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की पत्नी शकुंतला देवी के द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादी के विधिक प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। वादी के विधिक प्रतिनिधि की ओर से सभी विधिक प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया है। वादी के विधिक प्रतिनिधि इस वाद के आवश्यक पक्षकार हैं। अतः न्यायहित में वादी के विधिक प्रतिनिधि के इस आवेदन को **स्वीकृत** कर वाद पत्र से वादी का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 06.06.2026 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	